HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2296/2026
CNR: RJHC020980242026 | URN: CRLAS / 4035U / 2026

Juber Rangrej Son Of Shri Mohd. Saleem, Aged About 21 Years, R/o 26/153, Subhash Colony, Near Teva Masjid, Police Station Malpura Gate, District Jaipur (Rajasthan) Presently Confined In Central Jail, Jaipur, Rajasthan.

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. Rajesh S/o Moti Lal, R/o K.d. School, Ke Samne, Badh Shyopur, Watika Road, Sanganer Sadar, Jaipur City (South), Rajasthan, India

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Fateh Ram Meena
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

28/10/2026

अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 220/2026 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2026, जिसके माध्यम से अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया गया है, से व्यथित होकर धारा 14ए अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना सांगानेर सदर, जिला–जयपुर शहर दक्षिण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 709/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 191(2), 191(3), 190, 324(5), 331(6) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह अपील पेश की गई है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि प्रकरण में प्रत्यर्थी–परिवादी पक्ष को सूचना दी जा चुकी है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि अपीलार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण की पहली घटना सड़क पर परिवादी पक्ष के शराब पीने और अपीलार्थी पक्ष द्वारा उन्हें टोकने के समय हुई थी। उसके पश्चात् तोड़–फोड़ संबंधी घटना, जो कि परिवादी ने अपने घर पर आकर किया जाना बताया है, उस घटना में अपीलार्थी–अभियुक्त शामिल नहीं था और न ही उसकी उपस्थिति में घटना होना दर्शित है। किसी भी साक्षी ने अपीलार्थी का घटना कारित करने वालों में नाम नहीं लिया है और न ही सीसीटीवी फुटेज देखने के उपरान्त उसका तोड–फोड़ की घटना में शामिल होना दर्शित है। अपीलार्थी दिनांक 15.09.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जो साधारण मारपीट संबंधी है। प्रकरण के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः अपीलार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रथम घटना में अपीलार्थी शामिल था। अपीलार्थी के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण की घटना दो बार में कारित हुई है। प्रथम घटना सड़क पर परिवादी पक्ष के शराब पीने और अपीलार्थी पक्ष द्वारा उन्हें टोकने के समय होना बताया गया है, परन्तु उक्त घटना में अपीलार्थी द्वारा क्या आपराधिक कृत्य किया गया, इसका कोई विशिष्ट अंकन साक्षीगण के कथन में नहीं है। तोड़–फोड़ करने संबंधी दूसरी घटना में अपीलार्थी शामिल नहीं था और किसी भी साक्षी ने उसका नाम घटना कारित करने वालों में नहीं लिया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार भी अपीलार्थी का तोड़–फोड़ की घटना कारित करने में शामिल होना दर्शित नहीं है। अपीलार्थी दिनांक 15.09.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जो साधारण मारपीट से संबंधित हैं। प्रकरण के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 220/2026 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2026 अपास्त किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

92/VISHAL SHARMA